न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–446/2026</u>
(लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 32/2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुनैना देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

<u>आदेश</u>

<u>19.06.2026</u>

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **1. सुनैना देवी** उम्र 29 वर्ष पति जितेन्द्र दास **2. जितेन्द्र दास** उम्र 38 वर्ष धानो दास **3. उत्तम कुमार** उम्र 19 वर्ष पिता रामस्नेही दास तीनों साकिनान गोबरदाहा, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई **4. कुन्ती देवी** उम्र 71 वर्ष पति स्व0 सीताराम दास साकिन नजारी, थाना लक्ष्मीपुर जिला जमुई द्वारा लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 32/2026 में धारा 191(1), 126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(1), 303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सी0 तांती तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.02.2026 को करीब 11:00 बजे दिन में सूचिका का बेटा गांव में ही साईकिल चला रहा था। तभी सूचक के बेटे नितिश कुमार उम्र 12 वर्ष को जितेन्द्र दास पे0 धानो दास, सुनैना देवी पति जितेन्द्र दास, हनिश कु0 पु0 जितेन्द्र दास सभी सा0 गोबरदाहा थाना लक्ष्मीपुर जिला जमुई के निवासी ने सूचिका के बेटे नितिश कुमार को वो चारों मिलकर पकड़ लिया एवं लात मुक्का फैट, घूसा से मारकर जमीन पर पटक कर बेरहमी तरीका से मारपीट किया और फिर सूचिका का बेटा किसी तरह अपना जान बचा के किसी तरह भागते हुये घर पर आया एवं सूचिका को सारी बात बताई। सारी बात बताते बताते वो चारों सूचिका के घर पर पहुंच गया एवं सभी लाठी, डंडा लेकर आया एवं वो लोग के साथ कुन्ती देवी पति स्व0 सीताराम दास सा0 नजारी थाना लक्ष्मीपुर, उत्तम दास पे0 रामस्नेही दास सा0 गोबरदाहा थाना लक्ष्मीपुर, रंजीत दास पे0 नामलूम सा0 चाननटाढ़, थाना सोनो जिला जमुई के साथ 4 और अज्ञात आदमी लेकर सू. चका के घर पर आ गया एवं सूचिका के घर पर चढ़के बिना कुछ कहे सुने सूचिका के घर में घुसकर मारपीट करने लगा एवं सूचिका को जितेन्द्र दास तलवार से जान मारने के नियत से सूचिका के सिर पर मारना चाहा तो तलवार सूचिका के बायां हाथ में लग गया जिससे कि सूचिका का बायां हाथ कट गया एवं खून निकलने लगा एवं जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद भी वे लोग सूचिका को लात, मुक्का, फैट, घुसा से मारते रहे। जब सूचिका चिखने चिल्लाने एवं हो हल्ल करने लगी तो सूचिका का पति सूचिका को बचाने के लिए दौड़ा तो सूचिका के पति को भी तलवार से जितेन्द्र दास जान मारने के नियत से दो बार तलवार मार दिया जिससे की सूचिका के पति का सिर फट गया एवं खून निकलने लगा। वे लोग सूचिका को जान मारने के नियत मार रहा था एवं वो चारों अज्ञात आदमी सूचिका का बाईक भी लेकर चला गया जिसका नंबर बी0आर0046एस00227 है। सूचिका का पति का दाहिना हाथ भी कट गया तथा सूचिका का साईकिल भी लेकर चला गया। वे लोग जान मारने के नियत से सूचिका के घर पर हमला किया था।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम

लगातार.....................

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–446 / 2026</u>
(लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 32 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुनैना देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

19.06.2026
लगातार

जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण द्वारा वर्तमान आवेदन को छोड़कर अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत न तो इस सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण को 35(5) बी0एन0एस0एस का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि आवेदक संख्या 02 जी0आर0 केस नंबर 2016 / 20, जी0आर0 केस नंबर 2017 / 20 तथा जी0आर0 केस नंबर 1617 / 20 में तथा आवेदक संख्या 01 जी0आर0 केस नंबर 1617 / 24 मे भी अभियुक्त है जिसमें वे जमानत पर हैं। आवेदक संख्या 03 एवं 04 के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। इस वाद का एक काउन्टर केस लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 31 / 2026 है जो धारा 191(1), 126(2), 115(2), 352, 351(2), 303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है जो इस वाद के आवेदक जितेन्द्र दास द्वारा सूचिका और उसके परिवार के विरूद्ध किया गया है। यह कि आवेदक धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत रखी गई सभी शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है तथा आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 191(1), 126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(1), 303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण पर आरोप है कि सूचिका का बेटा नितिश कुमार उम्र 12 वर्ष को जितेन्द्र दास पे0 धानो दास, सुनैना देवी पति जितेन्द्र दास, हनिश कु0 पु0 जितेन्द्र दास सभी सा0 गोबरदाहा थाना लक्ष्मीपुर जिला जमुई के निवासी ने सूचिका के बेटे नितिश कुमार को वो चारों मिलकर पकड़ लिया एवं लात, मुक्का, फैट, घूसा से जमीन पर पटककर पूरी बेरहमी के साथ मारपीट किया। किसी तरह सूचिका का बेटा जान बचाकरह भागते हुये घर आया एवं सूचिका को सारी बात बता रहा था इसी बीच वे चारों लोग सूचिका के घर में पहुंच गये। सभी लाठी, डंडा लेकर आया था और उन लोगों के साथ कुन्ती देवी, उत्तम दास, रवीन्द्र दास, आशीष कुमार, रंजीत दास के साथ चार अज्ञात आदमी थे तथा सूचिका के घर पर चढ़कर बिना कहे घर में घुसकर मारपीट करने लगे एवं सूचिका को जितेन्द्र दास (आवेदक) तलवार से जान मारने के नियत से सूचिका के सिर पर मारना चाहा तो तलवार सूचिका के बाएं हाथ में लग गया जिससे कि सूचिका का बायां हाथ कट गया एवं खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गयी। गिरने के बाद भी वे लोग ताल मुक्का फैट घूसा से मारता रहा। जब सूचिका चीखने चिल्लाने एवं हल्ला करने लगी तो सूचिका तो बचाने के लिए उसके पति दौड़े तो सूचिका के पति को भी जितेन्द्र दास (आवेदक) सिर पर जान मारने के नियत से दो चार

लगातार..............

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–446/2026</u>
(लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 32/2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

सुनैना देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

19.06.2026
लगातार

तलवार मार दिया जिससे कि सूचिका का पति का सिर फट गया एवं खून निकलने लगा। चारों अज्ञात आदमी सूचिका का बाईक लेकर चला गया जिसका नंबर बी0आर0046एस00227 है। अभी तक के वाद अनुसंधान की वाद दैनिकी की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। वाद दैनिकी की कंडिका 21 में सूचिका पंचा देवी का जख्म प्रतिवेदन है तथा जख्मी गोरेलाल दास का भी जख्म प्रतिवेदन अंकित है। वाद दैनिकी, जख्म प्रतिवेदन तथा आवेदक जितेन्द्र कुमार द्वारा सूचिका एवं उसके पति के मर्मस्थल सिर पर तलवार से सीधा प्रहार करने का आरोप तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदक जितेन्द्र कुमार को वाद के इस प्रक्रम पर, जबकि वाद का अनुसंधान अभी जारी है, अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **अतः आवेदक जितेन्द्र दास का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।**

जहां तक अग्रिम जमानत आवेदन के अन्य आवेदकगण सुनैना देवी, कुन्ती देवी तथा उत्तम कुमार के अग्रिम जमानत का प्रश्न है, अभिलेख एवं वाद दैनिकी पर अभी तक के अनुसंधान में एकत्रित साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि इन आवेदकगण पर किसी भी जख्मी को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। इन लोगों पर लगाया गया आरोप सार्वभौम एवं सामान्य प्रतीत होता है। इन पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा सुनैना देवी 29 वर्ष की महिला तथा कुन्ती देवी 71 वर्ष की वृद्ध महिला हैं जबकि उत्तम कुमार की उम्र 19 वर्ष है, जैसा कि अग्रिम जमानत आवेदन में अंकित है। अतः आवेदकगण **सुनैना देवी, उत्तम कुमार तथा कुन्ती देवी** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है।

फलतः आवेदकगण **सुनैना देवी, उत्तम कुमार तथा कुन्ती देवी** द्वारा इस आदेश से 30 दिनों के अन्दर आवेदकगण द्वारा स्वयं न्यायालय से आत्मसर्पण करने अथवा इस वाद में उक्त आवेदकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा प्रत्येक आवेदकगण द्वारा 10,000/–रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों का पालन करने पर आवेदकगण **सुनैना देवी, उत्तम कुमार तथा कुन्ती देवी** को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय जमुई।